# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर
## पीठासीन अधिकारी – मुकेश बारैठ, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 50/2019
अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. सुशील गर्ग पुत्र श्री बली राम जाति अग्रवाल निवासी सैकिण्ड इण्डस्ट्रीय ऐरिया, श्रीगंगानगर
2. सुभाष गोयल पुत्र श्री हरिओम गोयल जाति अग्रवाल निवासी 2 जी 1 जवाहर नगर, श्रीगंगानगर
3. पुरूषोतम गोयल पुत्र श्री हरिओम गोयल जाति अग्रवाल निवासी 1 डी 10 जवाहर नगर श्रीगंगानगर
4. राकेश गुप्ता पुत्र श्री रोशन लाल गुप्ता जाति गुप्ता निवासी 33 एफ ब्लॉक श्रीगंगानगर
5. शेर सिंह पुत्र श्री दान सिंह जाति जट सिख निवासी 2 एमएल तहसील श्रीगंगानगर

**.......वादीगण**

**बनाम**

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री पूर्ण चन्द जाति कुम्हार निवासी मकान नं. 17 जी ब्लॉक श्रीगंगानगर
2. रजनी धर्मपत्नी स्व0 श्री हरतेज सिंह जाति जट सिख निवासी 2 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. अनुप्रीत कौर पुत्री श्री हरतेज सिंह जाति जट सिख निवासी 2 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. जबतेश सिंह पुत्र श्री हरतेज सिंह जाति जट सिख निवासी 2 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. मोहम्मद हनीफ पुत्र श्री निवाजा जाति मुस्लमान निवासी 2 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर
6. अलायार पुत्र श्री निवाजा जाति मुस्लमान निवासी 2 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर
7. गुलाम कादर पुत्र श्री अहमद जाति मुस्लमान निवासी 2 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर
8. हाकम अली पुत्र श्री दारे खां जाति मुस्लमान निवासी 2 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर
9. गुलाब अली उर्फ मोहम्मद वल्द श्री नगरू खां जाति मुस्लमान निवासी जैतपुर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर
10. शुभनाथ चेला श्री रघुनाथ जाति नाथ निवासी 2 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर
11. गुलाम फातमा पत्नी श्री शान माहम्मद जाति मुस्लमान निवासी जैतपुर तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर
12. रूपेला वानो पत्नी श्री सराज खां जाति मुस्लमान निवासी 2 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर
13. बेगम पत्नी श्री यासीन खां जाति मुस्लमान निवासी 2 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर
14. जनत हाजिन पत्नी श्री हाजी माहरम खां जाति मुस्लमान निवासी 2 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned by CamScanner

दिनांक 25.03.2019 को सहमति से बंटवारा करवाने के लिए इनकार कर दिया है। यही वाद कारण है। यदि प्रतिवादी ने उक्त अराजी को बिना बंटवारा करवाए विक्रय/मुन्तकिल करने में सफल हो गए तो वाद की बाहुल्यता बढेगी। इसलिए वादीगण उक्त संयुकत खाता की भूमि का कब्जानुसार व घरू बंटवारानामा अनुसार बंटवारा की डिक्री प्राप्त करके अपने अपने नाम से भूमि दर्ज करवाना चाहते हैं तथा अलग खाता कायम करवाना चाहते हैं। वाद पत्र प्रस्तुत कर वादीगण द्वारा निम्न प्रकार से वाद डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया :–

1. चक 2 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 134/109 (मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2067–2070) का मुरब्बा नम्बर 61 की कुल 4.275 हैक. नहरी मय गैर मुमकिन आवासीय भूमि की सादिर की जाकर वादीगण संख्या 1 ता 4 को उक्त भूमि में से किला हनम्बर 2 की 0.041 हैक., 7 की 0.101 हैक., 9 की 0.127 हैक., 11 की 0.253 हैक., 12/1 की 0.202 हैक., 13/2 की 0.015 हैक., 14/1 की 0.202 हैक, 16/2 की 0.240 हैक., 17 की 0.253 हैक., 18/1 की 0.228 हैक., 19/2 की 0.063 हैक., 20/2 की 0.190 हैक., 21/2 की 0.063 हैक., 22/1 की 0.228 हैक., 23 की 0.253 हैक., 24 की 0.253 हैक., 25/1 की 0.240 हैक. कुल 2.952 हैक. भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर वादी संख्या 1 सुशील गोयल के नाम से 0.671 हैक. वादी संख्या 3 पुरूषोतम गोयल के नाम से 0.313 हैक., वादी संख्या 4 राकेश गुप्ता के नाम से 0.984 हैक. भूमि दर्ज करवाई जावे व वादी संख्या 5 शेर सिंह को किला नम्बर 2 की 0.187 हैक., 6/2 की 0.013 हैक., 9 की 0.126 हैक. व किला नम्बर 15/1 की 0.202 हैक. भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर अलग खाता कायम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने, अलग लगान मामला कायम करने का आदेश फरमाया जावे।
2. अन्य कोई अनुतोष हो तो वादी को दिलावाया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 5 ता 15 के विरूद्ध तामील विधिवित होने के परिणामस्वरूप न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 1, 5 ता 15 के विरूद्धएकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के सम्मन की तामील हेतु सम्मन अखबार में साया करवाये जाने के पश्चात पर्याप्त समय होने के उपरान्त प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादीगण को सुना गया। वादी का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकारय कर दिनांक 18 जून, 2019 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा जरिए कमांक भू.अ. /20169/2257 दिनांक 02.07.2019 के विभाजन प्रस्ताव प्रेश किया गया। बहस वकील वादी सुनी गई। वादीगण द्वारा विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद डिक्री किये जाने बाबत निवदेन किया गया।

## ।। आदेश ।।

वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादीगण को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है :–

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

वादी संख्या 1 ता 4 का हिस्सा मुरब्बा नम्बर 61 के किला नंबर 2/1(0.041 हैक.), 7/2(0.101 हैक.), 9/2(0.127 हैक.), 11(0.253 हैक.), 12/1(0.202 हैक.), 13/3(0.015 हैक.), 14/1(0.202 हैक.), 16/2(0.240 हैक.), 17(0.253 हैक.), 18/1(0.228 हैक.), 19/2(0.063 हैक.), 20/2 (0.190 हैक.), 21/2(0.063 हैक.), 22/1(0.228 हैक.), 23–24(0.506 हैक.) 25/1(0.240 हैक.) कुल 2.952 हैक्टर हिस्सा मुताबिक जमाबंदी एवं वादी संख्या 5 का हिस्सा मुरब्बा नम्बर 61 किला नम्बर 2/2(0.187 हैक.), 6/2(0.013 हैक.), 9/1(0.126 हैक.), 15/1(0.202 हैक.) कुल 0.528 हैक्टर।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 व 11 ता 15 का हिस्सा मुरब्बा नम्बर 61 के किला नम्बर 1(0.253हैक.), 8/2(0.051 हैक.), 10(0.253 हैक.), 13/2 (0.23 हैक.) कुल 0.580 हैक. मुताबिक जमाबंदी में दर्ज प्रतिवादीगण का हिस्सा बदस्तूर रहेगा।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी /गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 04 जुलाई, 2018 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned by CamScanner